भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- *321

दिनांक 16 जुलाई, 2019 के लिए प्रश्न

विषय: मछुआरों के लिये आवास

***321. श्री ओम पवन राजेनिंबालकरः**

श्री संजय हरिभाऊ जाधव:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को यह अवगत है कि राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना की आवास परियोजना के अंतर्गत आवंटित धनराशि घरों के निर्माण के लिये पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतों के दृष्टिगत मछुआरों को और अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये किसी नई योजना कार्यान्वित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को यह अवगत है कि उक्त योजना के अंतर्गत घरों का निर्माण करने वाले मछुआरे इस कार्य को पूरा करने हेतु ऋणग्रस्त हो गये हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) क्या केंद्र सरकार को उक्त योजना के अंतर्गत घरों के निर्माण हेतु इकाई व्यय के रूप में वित्तीय सहायता की राशि में वृद्धि करने हेतु केरल राज्य सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है

और यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध् में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

मत्स्यपालन पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री गिरिराज सिंह)

(क)से(ङ) तक : विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*****

मछुआरों के लिए आवास संबंधित विषय पर श्री ओम प्रकाश भूपालसिन उर्फ पवन राजेनिंबालकर और श्री संजय हरिभाऊ जाधव, माननीय सांसदों द्वारा पूछे गए लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या *321, जिसका उत्तर 16 जुलाई, 2019 को दिया जाना है, के संबंध में संदर्भित विवरण

(क)और(ख) केंद्रीय प्रायोजित योजना नीली क्रांतिः एकीकृत विकास और मात्स्यिकी प्रबंधन के एक घटक "राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना" के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (पी.एस.ए.वाई.-ग्रामीण) के अनुरूप मछुआ आवास के निर्माण हेतु सामान्य राज्यों के लिए 1.20 लाख रु. प्रति इकाई की दर से और हिमालयन एवं उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 1.30 लाख रु. की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विगत पांच वर्षों के दौरान 18,920 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 104.69 करोड़ रु. की केंद्रीय निधि जारी की गई है।

बढ़ती हुई निर्माण लागत को दृष्टिगत करते हुए भारत सरकार ने मई, 2014 के दौरान मछुआरा आवास की कुल इकाई लागत 50,000/. रु. से बढ़ाकर 75,000/. रु. कर दी है और वर्ष 2016 के दौरान प्रधानंत्री आवास योजना (पी.एस.ए.वाई.-ग्रामीण) के अनुरूप सामान्य राज्यों के लिए 75,000/. रु. से बढ़ाकर वर्तमान इकाई लागत 1.20 लाख रु. एवं हिमालयन और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 1.30 लाख रु. कर दी है। वर्तमान में मात्स्यिकी विभाग के पास मछुआरा आवास के निर्माण हेतु और अधिक वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के लिए किसी नई योजना के कार्यान्वयन का कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।

(ग)और(घ) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मात्स्यिकी विभाग को ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है जिसमें आवास निर्माण को पूरा करने हेतु; लिए गए ऋण के कारण कोई मछुआरा ऋणग्रस्त हुआ हो।

(ङ) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, के मात्स्यिकी विभाग को मछुआरों के आवास इकाइयों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता राशि बढ़ाए जाने के लिए केरल राज्य सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

******